

123

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2018 जिला-धार

निगरानी- 3859/2018/धार/भू-रा

रमेश चन्द्र पुत्र श्री छीतु कुशवहा
निवासी- ग्राम कुवाली तहसील मनावर जिला
- धार (म.प्र.)

-- आवेदक

विरुद्ध

पुरुषोत्तम पुत्र श्री रूपाजी
निवासी- जलखेडा तहसील मनावर जिला -
धार (म.प्र.)

-- अनावेदक

श्री. जलखेडा तहसील
द्वारा आज दि. 13.6.18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 11.7.18 नियत।

13/6/18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय नायब तहसीलदार मनावर जिला धार द्वारा प्रकरण क्रमांक
06/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2018 के विरुद्ध
म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर
न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1 यहकि, अनावेदक द्वारा आवेदक की जानकारी के बिना उसके पीठ पीछे भूमि का सीमांकन कराया गया है, सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न ही उनके समक्ष सीमांकन कार्यवाही की गयी है।
- 2 यहकि, आवेदक की जानकारी के बिना की गयी सीमांकन कार्यवाही के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो वर्तमान समय मे माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
- 3 यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी सीमांकन कार्यवाही के विरुद्ध निगरानी प्रकरण विचाराधीन है इसी दौरान अनावेदक द्वारा तहसीलदार धार के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण मे सीमांकन कार्यवाही की गयी है, जिसमें उसकी भूमि पर आवेदक का कब्जा पाया गया है ऐसी स्थिति में उसे कब्जा वापिस दिलाना चाहते

13/06/18
Jalakheda


Handwritten signature

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3859/2018/धार/भू.रा.

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.04.2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, जिला धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। उभय पक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु कलेक्टर, जिला धार के समक्ष दिनांक 30.05.2019 को उपस्थित हों।</p>	<p align="right">  अध्यक्ष </p>


A31